न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारेलाल सोंठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत भाखेडा

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/13 तारीख रज्जू 04.09.2018

01. श्री महेश पटेल हाल सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर पंचायत समिति उमरैण तहसील व जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::– दिनांक 31.12.2021

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत करते हुऐ कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 276 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा वाकेग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जो कागजात माल जमाबन्दी सम्वत 2000 में गैर मुमकिन आबादी अंकित है। सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 261 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा कायम हुऐ। सम्वत 2051 में खसरा नम्बर 594 रकबा 12.06 हैक्टेयर कायम हुऐ। जो विवादित आराजी है। सम्वत 2020 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी को गलती से रिकार्ड में गैर मुमकिन पहाड दर्ज कर दिया गया। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 594 रकबा 12.06 हैक्टेयर वाकेग्राम अकबरपुर के कागजात माल जमाबन्दी सम्वत 2020 व उसके बाद की जमाबन्दियों में गैर मुमकिन आबादी दर्ज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार अलवर को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में कैम्प ग्राम पंचायत खेडका में पेश हुई। तहसीलदार, अलवर से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आराजी हाल खसरा नम्बर 594 रकबा 12.06 है० गैर मुमकिन पहाड, वाके ग्राम अकबरपुर के कागजात माल जमाबन्दी सम्वत 2020 व उसके बाद की जमाबन्दियों में गैर मुमकिन आबादी दर्ज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

तहसीलदार, अलवर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर ग्रामवासियों से पूछताछ की गई जिनके अनुसार आबादी 200 साल पुरानी है। सम्वत 2000 के साबिक खसरा नम्बर 276 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी का अंकन है। सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 261 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड दर्ज किया गया। तत्पश्चात हाल रिकार्ड तक खसरा नम्बर की किस्म गैर मुमकिन पहाड दर्ज चली आ रही है। वर्तमान में उक्त खसरे में मौके पर आबादी है।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का मनन किया। मिसल हकीयत 2000 में साबिक खसरा नम्बर 276 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी का अंकन है। बन्दोबस्त कर्मचारियान द्वारा सम्वत् 2020 में खसरा नम्बर 261 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड अंकित कर दिया जो गलत है। तत्पश्चात हाल रिकार्ड तक खसरा नम्बर की किस्म गैर मुमकिन पहाड दर्ज चली आ रही है। बन्दोबस्त कर्मचारियान को जमाबन्दी में अंकित इन्द्राजात को रिपीट करना चाहिए था। इन्द्राजात को बदलने का अधिकार बन्दोबस्त कर्मचारियान को नही है। गैर मुमकिन पहाड के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दुरूस्त किया जाता उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

अतः तहसीलदार अलवर को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व ई में खसरा नम्बर 594 रकबा 12.06 हैक्टेयर में किस्म के कॉलम में अंकित मुमकिन पहाड को कलमजन कर इसके स्थान पर मुताकिब साबिक रिकार्ड र गैर मुमकिन आबादी अंकित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत डा में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम र बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारेलाल सौंटवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)